श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है . . .

अध्यक्ष महोदय : बगैर इत्तला दिए यह नहीं आ सकता ।

श्री रामसेवक यादव : यह महत्वपूर्ण विषय है, इसका हाल ही में पता चला था । इसी सदन के एक सदस्य श्री वी०पी० मौर्य . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर आ रहा हूं । वह मेरे पास है । मुझे इसी बात का तो अफसोस होता है कि मेम्बर साहिबान वक्त से पहले किसी चीज को एंटिसिपेट कर लेते हैं ।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन अकाल के बारे में है . . .

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त आप यह नहीं कह सकते । मुझे बगैर इत्तला दिए यह नहीं आ सकता । आप बैठ जाएं ।

श्री बागड़ी : शुरू सेशन से मैं ने यह चीज सदन के सामने रखी है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । अगर आपने इत्तला दे रखी है तो आपको जवाब मिल जाएगा । और जिस वक्त उसको मुनासिब समझूंगा हाउस में रखूंगा । मगर यह नहीं हो सकता कि जब कोई माननीय सदस्य चाहे तो खड़ा हो कर अपनी बात शुरू कर दे । ऐसा नहीं हो सकता । इस तरह कार्रवाई नहीं चल सकती ।

श्री बागड़ी : मेरी एक आपसे अर्ज है, उसे सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्त नहीं है । मुझे कार्रवाई चलाने दीजिए । आप मुझ से मिल लीजिए । अगर मैं मुनासिब समझूंगा तो जरूर उसे हाउस के सामने रखूंगा ।

श्री बागड़ी : यह महत्वपूर्ण बात है . . .

अध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण है या नहीं, इसका फैसला आपको नहीं करना है । और न यह फैसला आपको करना है कि इसे किस वक्त लिया जाए ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैं यह बात बहुत अर्से से आपके सामने रख रहा हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह काम में रुकावट नहीं डाल सकते ।

श्री बागड़ी : मैं रुकावट नहीं डाल रहा हूं, मैं तो अर्ज कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मगर आप इस तरह नहीं कर सकते । मैं ने बार बार कहा है कि आप बैठ जाएं ।

श्री रामसेवक यादव : क्या श्री मौर्य के सम्बन्ध में आप कोई इत्तला दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि वह मामला आ रहा है । इस तरह से आप प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट न करें ।

12.23 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT AND CENTRAL EXCISES AND SALT ACT

The Minister of Planning and Minister in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table—

(i) a copy of Notification No. G.S.R. 1830 dated the 30th November, 1963, making certain further amendment to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, under section 159 of the Customs Act 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944.

[*Placed in Library. See* No. LT-2088/63].

(ii) a copy each of the following Rules under section 38 of the

Central Excises and Salt Act, 1944:—

(a) The Central Excise (Twenty-seventh Amendment) Rules, 1963 published in Notification No. G.S.R. 1825 dated the 30th November, 1963.

(b) The Central Excise (Twenty-eighth Amendment) Rules, 1963 published in Notification No. G.S.R. 1826 dated the 30th November, 1963.

[*Placed in Library. See* No. LT-2089/63]

(iii) a copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(a) Notification No. G.S.R. 1791 dated the 23rd November, 1963.

(b) Notification No. G.S.R. 1792 dated the 23rd November, 1963.

[*Placed in Library. See* No. LT-2090/63]

(iv) a copy of Notification No. F. 4(45)/63-Fin (E) published in Delhi Gazette dated the 7th November, 1963, making certain further amendments to the Delhi Sales Tax Rules, 1951, under sub-section (4) of section 26 of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, as in force in the Union Territory of Delhi.

[*Placed in Library. See* No. LT-2091/63]

NOTIFICATION UNDER RESERVE BANK OF INDIA ACT

Shri B. R. Bhagat: On behalf of Shrimati Tarkeshwari Sinha I beg to lay on the Table a copy of Reserve Bank of India Notification No. 1 dated the 30th November, 1963, making certain amendment to the Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 1935, under proviso to section 28 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

[*Placed in Library. See* No. LT-2092/63].

12.25 hrs.

ARREST OF SHRI B. P. MAURYA

Mr. Speaker: I have to inform the House that I have received the following communication, dated the 12th December, 1963, from the Sub-inspector of Police, Allahabad, Camp, Police Station, Parliament Street, New Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri B. P. Maurya, Member, Lok Sabha, was arrested at 8·30 A.M. on the 12th December, 1963 in case No. 707 under rule 41(c) of the Defence of India Rules and he is going to be produced before A.D.M., Delhi, with the request for transferring to Allahabad."

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं ने एक कालिंग अटेंशन मोशन दिया था। मेरा निवेदन है कि आज जब मैं सवेरे अखबार पढ़ रहा था तो श्री मौर्य का टेलीफोन मेरे पास आया और मुझे यह इत्तिला मिली कि उन्हों ने ३० अप्रैल सन् १९६३ को जो एक भाषण इलाहाबाद में दिया था, जिस से जनता में रोष पैदा होने की सम्भावना थी पुलिस की राय में, उस के लिए उन को डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का उपयोग विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। इससे तो जो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के और मौलिक अधिकार हैं उन का हनन होता है। यह बड़े महत्व का विषय है। मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा की जाय।

Shri Nath Pai (Rajapur): I should like to avail myself of this opportunity to bring to the notice of the Prime